उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
(कल्याण शाखा)

पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत कल्याण विभाग के गैर सरकारी संस्थान द्वारा संचालित छात्रावासों में वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपस्कर की आपूर्ति हेतु निविदा की शर्तें :–

1. निविदादाता को बिक्री कर का अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा ।
2. निविदादाता को आयकर रिटर्न 2014–15, पैन कार्ड एवं बिक्री कर स्वच्छता प्रमाण–पत्र की अद्यतन अभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा ।
3. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 12,000/– (बारह हजार) रूपये बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से निविदा के साथ प्लेज्ड करना अनिवार्य होगा । बिना बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
4. निविदा के सामग्रियों का दर सभी कर सहित सूची अनुसार अंकित करेंगे । किसी प्रकार का कटिंग या ओवर राईटिंग होने पर इसपर विचार नहीं किया जायेगा ।
5. दर निर्धारण के समय सभी सामग्रियों का नमूना एक–एक प्रति अच्छे गुणवत्ता वाले लाना अनिवार्य होगा । बिना नमूना के निविदा स्वतः रद्द समझी जायेगी ।
6. उपस्कर की आपूर्ति हेतु निविदादाताओं को उद्योग विभाग का निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. स्वीकृत आपूर्तिकर्ताओं को सामग्रियों की आपूर्ति इस जिला अन्तर्गत अवस्थित आवासीय विद्यालयों में पहुंचाकर करनी होगी जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा ।
8. स्वीकृत निविदादाता को किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति बाधित नहीं करनी होगी । आपूर्ति बाधित करने पर उसे काली सूची में नाम दर्ज की जा सकती है एवं अग्रधन की राशि जब्त की जा सकती है । भुगतान में विलम्ब होने पर आपूर्तिकर्ता किसी तरह का हर्जाना या भरपाई का दावा नहीं करेंगे ।
9. इस आशय का नोटरी द्वारा शपथ–पत्र देंगे कि किसी जिला में उन्हें काली सूची में नहीं डाला गया है तथा उनके फर्म पर किसी भी जिला में प्राथमिकी दर्ज नहीं है ।
10. निविदा के साथ पूर्व वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन जिसमें वार्षिक टर्न ओवर कम–से–कम साठ लाख रूपया का हो की छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।
11. निविदादाताओं को सरकार के पक्ष में जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से एकरारनामा करना होगा कि वे आदेशानुसार सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत दर एवं नमूने के अनुरूप करेंगे । ऐसा नहीं करने पर आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर सामग्रियों को बदलना होगा ।
12. निविदादाता को निविदा दो शील्ड लिफाफे में देना होगा । तकनीकी बीड में निविदा के शर्तों से संबंधित सभी कागजात तथा दूसरे लिफाफे में सामग्रियों का दर अंकित रहेगा । तकनीकी बीड में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा ।
13. गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के उपरान्त नियमानुसार विपत्र की राशि का भुगतान अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, राँची के पी०एल० खाता में संधारित राशि से किया जायेगा ।
14. सामग्रियों की आपूर्ति संलग्न मानकों के अनुसार करना होगा ।
15. शर्त युक्त निविदा स्वीकार नहीं किये जायेंगे । समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अंतिम होगा तथा बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा ।

2/2/16

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

2/2/16

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

(कल्याण शाखा)

पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत कल्याण विभाग के गैर सरकारी संस्थान द्वारा संचालित छात्रावासों में वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपस्कर की आपूर्ति हेतु सामग्रियों की सूची :–

01. एल0सी0डी0 (सैमसंग / सोनी / ओनिडा / विडियोकॉन) (साईज 42'' ईंच)
02. लोहे की चौकी – लंबाई 6', चौड़ाई 3', ऊँचाई 1.5', 1.25'' Sqr. Pipe का फ्रेम जिसमें 30 x 3 mm का एंगल एवं 25 mm (18 गेज) प्लाई बोर्ड के साथ ।
03. बेंच एवं डेस्क (लोहे / लकड़ी)– 2 सीटर, चौड़ाई 3'(दोनो का), ऊँचाई 30'', 1 ईंच Sqr. Pipe, 16 गेज का फ्रेम एवं 19 mm वाटर प्रुफ बोर्ड सहित ।
04. गद्दा (सिंगल साईज) (Kurlon कम्पनी का) – लंबाई 6', चौड़ाई 3' एवं ऊँचाई 4'' जिसमें 2'' कॉयर एवं उपर–नीचे एक–एक ईंच उच्च गुणवत्ता का फोम / रूई का ।
05. टेबल (बड़ा साईज ड्रावर के साथ) – 4' x 2' एवं दोनों तरफ ड्रावर सहित, लोहे का फ्रेम एवं सनमाईका का टॉप ।
06. स्टील अलमीरा (78'' / 34'' / 19'') 22 गेज 1 लॉकर सहित
07. कुर्सी – प्लास्टिक का – बांह एवं बिना बांह का (सुप्रीम / नीलकमल / सूपर)
08. नोटिस बोर्ड – 3' x 2' (मोटाई–1.5'') लकड़ी का (शाल / सागवान / शीशम)

27/2/16

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

27/2/16